निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 138/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र बिरदी चन्द जाति मीणा निवासी गाम बाढ धामस्या, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री चिमन लाल मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

2 भोमाराम पुत्र छोटू

3 हरलाल पुत्र छोटू

4 छीतर मल पुत्र छोटू

5 प्रभू पुत्र छोटू

6 अजय कुमार पुत्र छोटू

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बाढ धामस्या, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 73/2020 ब उनवानी भोमाराम बनाम बाबूलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी रमेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री गुलाब चन्द मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 व 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 06.12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 73/2020 ब उनवानी भोमाराम बनाम बाबूलाल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 2, 3, 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाब चन्द मीणा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त पत्रावली दिनांक 08.06.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम धामस्या में पेश हुई और प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट की जांच कर रिपोर्ट

जिला कलक्टर
जयपुर

पेश करे, यह आर्डर शीट लिखी गई और पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 16.08.2022 दी गई। उक्त दिनांक 8.06.2022 को जब प्रार्थी बाबूलाल न्यायालय के कैम्प में उपस्थित हुआ तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भोमाराम व हरलाल पीठासीन अधिकारी से मिल कर बाहर निकलते हुए प्रार्थी बाबू लाल को एलानियां धमकी दी कि हमारी पहुंच बडे बडे राजनितिक पहुॅच वाले व्यक्तियों से है । अब उक्त दावे में पुनः कुरेजात हमारे कहे अनुसार मंगवा कर उक्त दावे का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करायेंगे और आगामी पेशी पर उक्त दावे का निस्तारण हो जायेगा । यह सब सुन कर प्रार्थी बाबूलाल काफी आश्चर्य चकित हो गया। वह जैसे ही पीठासीन अधिकारी से जा कर मिला तो उन्होने भी यही कहा कि मै उक्त दावे का शीघ्र ही निपटारा करूंगा। प्रार्थी बाबूलाल को यह पूर्ण यकीन हो गया कि पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से सांठ गांठ हो गई है और वे जल्दी ही इस मुकदमें का निपटारा करने वाले है । पीठासीन अधिकारी अपने पद एवं प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर प्रार्थी पर अनुचित दाबाव डाल कर न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों का गलत इस्तेमाल कर रहे है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। इसलिए मुकदमें को जयपुर स्थित किसी भी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। न्याय की सदैव यही मंशा रहती है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर न्यायालय अपना निष्पक्ष निर्णय पारित करे। इसलिये प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है । अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 व 6 के सुयोग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी द्वारा निराधार आरोप लगाये गये है। पत्रावली कैम्प में पेश हुई थी। कैम्प कोर्ट का संचालन सार्वजनिक तौर पर होता है। जहां पर कोई व्यक्तिगत सांठ गांठ की बात कर ही नहीं सकता। प्रार्थी प्रकरण में भूमि का बंटवारा नहीं कराना चाहता। चूंकि प्राथी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद केवल मात्र भूमि के बंटवारे को लेकर है, हिस्से को लेकर नहीं । प्रार्थी व उसके रिश्तेदार अधिकारी तहसील के राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर दौराने स्टे खसरा नम्बर 58 में समरसेल बोरिंग दिखा कर बिना बंटी भूमि में तीन फेस का कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन गुप चुप तरीके से ले रहे थे। जबकि उक्त समरसेल बोरिंग आबादी भूमि में है और दोराने स्टे पीने का पानी नहीं होने की बात कह कर संयुक्त आबादी भूमि की सीमा पर उक्त समरसेल बोरिंग प्रार्थी ने खुदवाया था लेकिन अपना कब्जा दर्शित करने के लिए राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 58 में उक्त समरसेल बोरिंग को दिखा कर कृषि कनेक्शन लेना चाहता है जिसका अप्रार्थी 2 व 3 ने विरोध किया । मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के मध्य झगडा हुआ और फौजदारी कार्यवाहियां हुई । इसके बाद भी जब प्रार्थी दरख्वास्त देयन्दा अपने हरकतों से बाज नही आया तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नवीन तथ्यों के आधार पर पेश किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने मौके की यथा स्थिति बनाये रखने एवं वादग्रस्त भूमि में कृषि कनेक्शन नहीं जारी करने हेतु सहायक अभियन्ता जमवारामगढ को पाबन्द किया । प्रार्थना पत्र में लगाये गये तमाम आरोप झूंठे, बेबुनियाद, मनघढन्त एवं काल्पनिक है। प्रार्थी प्रकरण को केवल मात्र विलम्बित करना का उद्वेश्य

जिला कलक्टर
जयपुर

रखता है। यदि बिना किसी कारण के प्रकरण को हस्तान्तरित किया गया तो अप्रार्थीगण को न्याय प्राप्त करने के लिए भारी मुसिबतो का सामना करना पडेगा, जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य केवल मात्र भूमि के बंटवारा का विवाद है जिसकी कुरेजात रिपोर्ट भी तहसीलदार के द्वारा बनायी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय केवल तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर दोनो पक्षों की आपत्ति सुन कर निर्णय प्रसारित करते है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति इस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर कलक्ट्रेट से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर